न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री गणेशराम प्रजापत निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री गुणवन्त पुत्र श्री समरथमलजी जाति प्रजापत निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री धरमाजी जाति प्रजापत निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पन्नालाल जाति प्रजापत निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री गणेशराम पुत्र श्री सोमाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भबूतमल पुत्र श्री सोमाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2022

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा, प्रार्थी की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री उमेश पटेल, अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।
(3) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार।

—: निर्णय :— दिनांक 18.09.2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम रोहिडा, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982, 2987 व 2988 कुल किता 08 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो गत भू माप के खसरा नम्बर 1508, 1509, 1510, 1512, 1519, 1520 व 1513 कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा से बने है, की भूमि राजगुरू द्वारा सिरोही की माफी देवस्थान की खुदकाश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के अनुसार उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास निवासी सिरोही की माफी देवस्थान की कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर सोमा

....पेज दो पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वल्द भगवान एवं साकला वल्द भीमा कौम घांची भोग पर खेती करते थे। यह कि राजगुरु द्वारा की कृषि भूमि पर राजगुरु द्वारा के महन्त कृषकों के जरिये हासल पर खेती करवाते थे, लेकिन उनका देवस्थान की उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं हुआ है। यह कि वर्तमान भू प्रबन्ध सवंत 2029 से 2048 की जमाबन्दी में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक सर्वथा गलत रुप से सोमा वल्द भगवाना कौम घाची को दर्शाया गया है, जो किसी भी रुप से न्याय संगत नही है। देवस्थान की कृषि भूमि में सोमा वल्द भगवाना कौम घांची निवासी रोहिडा के किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं होते है, जिससे सोमा वल्द भगवान के नाम से गत भू प्रबन्ध संवत 2029 से 2048 में हुए गलत इन्द्राज को निरस्त किया जाकर पुनः उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास सिरोही के नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत है। यह कि वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि सोमा के पुत्र गणेशराम एवं भबूतमल के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है। उक्त सोमा के पुत्र गणेशराम व भबूतमल उक्त कृषि भूमि की किस्म को अवैध रुप से आबादी में परिवर्तन करवाने हेतु प्रयत्नशील है। अतः देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि मे सोमा एवं उसके वारिसान भबूतमल एवं गणेशराम के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त किया जाना एव उक्त कृषि भूमि को पुनः देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि के रुप में अंकित किया जाना न्याय संगत है। यह कि भू–प्रबन्ध के अधिकारियों को देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि की खातेदारी अप्रार्थी एवं उनके पूर्वरसाधिकारियों को प्रदान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, लेकिन भू–प्रबन्ध के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने उक्त देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि को अवैध रुप से श्री सोमा वल्द भगवाना के नाम खातेदारी में अंकित की है। उक्त प्रविष्टी अवैधानिक रुप से एवं बिना अधिकार के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड मे की है, जिससे ऐसी प्रविष्टियों को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटवाये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किया जाना न्याय संगत है। यह कि राजगुरु द्वारा सिरोही के तत्कालीन राजगुरु ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास थे एवं गांव रोहिडा में श्री द्वारिकाधीक्ष का मन्दिर स्थित है, जिसकी व्यवस्था राजगुरु द्वारा सिरोही के राजगुरूओं द्वारा की जाती रही है। उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही की माफी देवस्थान की डोली की कृषि भूमि है, जिससे उक्त कृषि भूमि पर श्री सोमा वल्द भगवाना घांची या उनके उत्तराधिकारियों के किसी प्रकार से कोई खातेदार हक अधिकार निहित नहीं होते है। यह कि उक्त अप्रार्थी गणेशराम एवं भबूतमल उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त कृषि भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु एवं उक्त कृषि भूमि की किस्म को आबादी भूमि में परिवर्तित करवाने हेतु प्रयत्नशील है। जबकि उक्त गणेशराम व भबूतमल को उक्त कृषि भूमि की किस्म को परिवर्तित करवाने का एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नही है एव ना ही श्री गणेशराम एवं भबूतमल के उक्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार कभी भी निहित नहीं हुए है। यह कि प्रश्नगत देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि के इन्द्राजात जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके पूर्वरसाधिकारियों के नाम से हुए है, उन्हे निरस्त किया जाना एवं इस हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को उक्त प्रकरण को रेफर किया जाना न्याय संगत है। यह कि अवैधानिक रुप से हुई प्रविष्टि को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स किये जाने हेतु कोई

....पेज तीन पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवधि नियत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा सख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982, 2987, 2988, कुल किता 8 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम रोहिडा पटवार क्षेत्र रोहिडा प्रथम तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे सोमा वल्द भगवाना कौम घांची एवं उसके उत्तराधिकारी गणेशराम एवं भबूतमल पिसरान सोमा कौम घांची के नाम से हुए इन्द्राज को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में से निरस्त करवाने एवं उक्त कृषि भूमि के वर्तमान भू–प्रबन्ध के पहले के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे हुये इन्द्राजात को यथावत बहाल किये जाने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पटेल उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किए।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मन्दिर मूर्ति जो कि शास्वत नाबालिग है, की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणों के पूर्वरसाधिकारियों के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में माफी देवस्थान की खुदकाश्त की भूमि को खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के अनुसार उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास निवासी सिरोही की माफी देवस्थान की कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर सोमा वल्द भगवान एवं साकला वल्द भीमा कौम घांची भोग पर खेती करते थे। यह कि राजगुरु द्वारा की कृषि भूमि पर राजगुरु द्वारा के महन्त कृषकों के जरिये हासल पर खेती करवाते थे, लेकिन उनका देवस्थान की उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं हुआ है। यह कि वर्तमान भू प्रबन्ध सवंत 2029 से 2048 की जमाबन्दी में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक सर्वथा गलत रुप से सोमा वल्द भगवाना कौम घाची को दर्शाया गया है, जो किसी भी रुप से न्याय संगत नही है। देवस्थान की कृषि भूमि में सोमा वल्द भगवाना कौम घांची निवासी रोहिडा के किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं होते है, जिससे सोमा वल्द भगवान के नाम से गत भू प्रबन्ध संवत 2029 से 2048 में हुए गलत इन्द्राज को निरस्त किया जाकर पुनः उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास सिरोही के नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत है। यह कि वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि सोमा के पुत्र गणेशराम एवं भबूतमल के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है। उक्त सोमा के पुत्र गणेशराम व भबूतमल उक्त कृषि भूमि की किस्म को अवैध रुप से आबादी में परिवर्तन करवाने हेतु प्रयत्नशील है। अतः देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि मे सोमा एवं उसके वारिसान भबूतमल एवं गणेशराम के खातेदारी

....पेज चार पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

इन्द्राज को निरस्त किया जाना एव उक्त कृषि भूमि को पुनः देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि के रुप में अंकित किया जाना न्याय संगत है। यह कि भू–प्रबन्ध के अधिकारियों को देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि की खातेदारी अप्रार्थी एवं उनके पूर्वरसाधिकारियों को प्रदान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, लेकिन भू–प्रबन्ध के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने उक्त देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि को अवैध रुप से श्री सोमा वल्द भगवाना के नाम खातेदारी में अंकित की है। उक्त प्रविष्टी अवैधानिक रुप से एवं बिना अधिकार के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड मे की है, जिससे ऐसी प्रविष्टियों को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटवाये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स किया जाना न्याय संगत है। यह कि राजगुरु द्वारा सिरोही के तत्कालीन राजगुरु ज्ञानदास गुरु लक्ष्मणदास थे एवं गांव रोहिडा में श्री द्वारिकाधीक्ष का मन्दिर स्थित है, जिसकी व्यवस्था राजगुरु द्वारा सिरोही के राजगुरूओं द्वारा की जाती रही है। उक्त कृषि भूमि राजगुरु द्वारा सिरोही की माफी देवस्थान की डोली की कृषि भूमि है, जिससे उक्त कृषि भूमि पर श्री सोमा वल्द भगवाना घांची या उनके उत्तराधिकारियों के किसी प्रकार से कोई खातेदार हक अधिकार निहित नहीं होते है। यह कि उक्त अप्रार्थी गणेशराम एवं भबूतमल उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त कृषि भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु एवं उक्त कृषि भूमि की किस्म को आबादी भूमि में परिवर्तित करवाने हेतु प्रयत्नशील है। जबकि उक्त गणेशराम व भबूतमल को उक्त कृषि भूमि की किस्म को परिवर्तित करवाने का एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नही है एव ना ही श्री गणेशराम एवं भबूतमल के उक्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार कभी भी निहित नहीं हुए है। यह कि प्रश्नगत देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि के इन्द्राजात जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके पूंर्वरसाधिकारियों के नाम से हुए है, उन्हे निरस्त किया जाना एवं इस हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को उक्त प्रकरण को रेफर किया जाना न्याय संगत है। यह कि अवैधानिक रुप से हुई प्रविष्टि को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स किये जाने हेतु कोई अवधि नियत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा सख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982, 2987, 2988, कुल किता 8 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम रोहिडा पटवार क्षेत्र रोहिडा प्रथम तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे सोमा वल्द भगवाना कौम घांची एवं उसके उत्तराधिकारी गणेशराम एवं भबूतमल पिसरान सोमा कौम घांची के नाम से हुए इन्द्राज को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में से निरस्त करवाने एवं उक्त कृषि भूमि के वर्तमान भू–प्रबन्ध के पहले के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे हुये इन्द्राजात को यथावत बहाल किये जाने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावे। जबकि अप्रार्थी संख्या एक व दो के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश पटेल ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम रोहिडा–1, पटवार क्षेत्र रोहिडा 1 तहसील पिण्डवाडा में स्थित होकर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिसे प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से देवस्थान की कृषि भूमि होना बताया गया है। यह कि

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज पांच पर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिताजी सोमा पुत्र भगवाना घांची के कब्जे काश्त व हक़ अधिकार की थी, सिरोही स्टेट के समय सभी कृषि आराजी का भोग सिरोही स्टेट के पास जमा होता था, उस समय श्री राजगुरु द्वारा स्थान सिरोही के ज्ञानदासजी ने सिरोही स्टेट से साधु संतो के भोजन व्यवस्था हेतु कुछ कृषि कुओं से भोग दिलाने की मांग करने पर अप्रार्थीगण सहित कुल छः कृषि कुओं वालो ने स्वेच्छा से सिरोही स्टेट द्वारा लिये जा रहे भोग को श्री राजगुरु द्वारा स्थान सिरोही को जमा कराने का कहने पर तैयार हुए थे। देश आजाद होने एवं कृषि भूमि के सम्बन्ध में बने कानून के तहत उक्त आराजी नियमानुसार अप्रार्थीगण के पिताजी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है और अप्रार्थीगण के पिताजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। यह कि उक्त आराजी राजगुरु द्वारा की खातेदारी की नहीं थी और न ही देवस्थान की थी तथा उक्त कृषि भूमि पर राजगुरु द्वारा के महंत कृषको के जरिये हासल पर खेती करवाने का कथन सर्वथा गलत है। उक्त भूमि किसी भी देवस्थान की नहीं रही है और न ही है। यह कि उक्त भूमि देवस्थान की कृषि-भूमि नहीं होकर अप्रार्थीगण के पिताजी सोमा पुत्र भगवाना कौम घांची के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज हुई है. इससे पूर्व उक्त आराजी श्री राजगुरु द्वारा स्थान सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मण दास सिरोही के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं थी, जिससे उक्त आराजी को अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज करने एवं उसे पुनः श्री राजगुरु द्वारा स्थान सिरोही सरप्रस्थ ज्ञानदास गुरु लक्ष्मण दास सिरोही के नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं है और न ही प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किया जाना न्याय संगत है। यह है कि अप्रार्थीगण की उक्त भूमि ग्राम रोहिडा की आबादी व सड़क से लगते स्थित है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार या लोकस स्टेंडी नहीं है, प्रार्थीगण देवस्थान अथवा श्री राजगुरु द्वारा के प्रबंधक नहीं है, जबकि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि एवं सड़क के मध्य में गलत रूप से ग्राम पंचायत रोहिडा से अपने नाम पट्टे जारी करवाना चाहते थे, जिस हेतु पूर्व में न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2003 ग्राम पंचायत रोहिडा बनाम राज्य अन्तर्गत धारा 125 व 136 एल.आर. एक्ट के तहत् पेश हुआ था, जो दिनांक 31–10–2003 को खारिज हो चूका था, जिसे छुपाते हुए पुनः ग्राम पंचायत से धारा 136 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही श्रीमान सहायक कलक्टर पिण्डवाडा के प्रकरण संख्या 10/2013 दर्ज करवाया, जिसमें हुए आदेश दिनांक 17–06–2015 के विरुद्ध राजस्व अपील संख्या 416/2017 न्यायालय श्रीमान डिविजनल कमिश्नर जोधपुर के निर्णय दिनांक 06–01–2020 द्वारा श्रीमान सहायक कलक्टर पिण्डवाडा के प्रकरण संख्या 10/2013 में हुए आदेश दिनांक 17–06–2015 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने अवैध कृत्य में असफल रहने से अब द्वेषवश एवं अप्रार्थीगण की पुरानी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि को हड़पने एवं आबादी में रूपांतरित करवाने व भूखण्ड बनाकर बेचने व अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के दुराशय से यह बिना अधिकार के कार्यवाही पेश की है जो काबिले खारिज है। जबकि अप्रार्थीगण की तरह कुल छः कृषि कुओं वाले स्वेच्छा से धार्मिक भावना से द्वारा को भोजनशाला राग रसोड़ा चलाने हेतु सामने से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज छः पर

Scanned with CamScanner

होकर भोग देते थे एवं सभी कुओं की भूमि काश्तकारों के खातेदारी दर्ज होकर उनमें से कईयों ने आबादी करवाकर भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिए है और कई सालो से काश्त करते आ रहे है। उक्त प्रकरण में सेटलमेंट की कोई गलती नहीं रही है, जिससे रेफरेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि कभी भी देवस्थान की भूमि नहीं रही है और ग्राम रोहिडा में स्थित द्वारिकाधीश का मंदिर अथवा अन्य देवस्थान की भूमि नहीं है। भू–प्रबंध के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से सोमा वल्द भगवाना के नाम खातेदारी अंकित नहीं कर नियमानुसार की है, जिससे उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार निहित होकर अप्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे हक अधिकार व कब्जे खातेदारी की है, जिसका विधिक रूप से उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थीगण का पूर्ण अधिकार है। यह कि उक्त भूमि देवस्थान (डोली) की कृषि भूमि नहीं रही है और न ही गलत रूप से अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई है, जिससे रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि यह प्रार्थना पत्र श्री राजगुरु द्वारा स्थान सिरोही द्वारा प्रस्तुत नहीं है और प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार लोकस स्टेंड़ी नहीं है तथा प्रार्थीगण देवस्थान अथवा श्री राजगुरु द्वारा के प्रबंधक नहीं है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज कर अनुग्रहित करवाए ।

(4) अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से दौराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मौजा रोहिडा पटवार क्षेत्र रोहिडा तहसील पिण्डवाडा में वासा रोड पर सुंधा माता मन्दिर के सामने जमाबन्दी संवत 2073–2075 के खाता संख्या 62 खसरा नम्बर 2975 से 2977, 2979, 2980, 2982, 2987 व 2988 कुल रकबा 9.15 बीघा लगान 56.04 रूपए खातेदार श्री गणेशराम, भवूतमल पिसरान श्री सोमा कौम घांची के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982, 2987 व 2988 कुल किता 08 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा की भूमि राजगुरू द्वारा सिरोही की माफी देवस्थान की खुदकाश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त मौजा रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही सम्वत् 1999 में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपररथ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही के नाम से दर्ज थी, जो संवत 2020–2023 तक की जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर चलती रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2010–2013 के कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि धरमा व गेमा वल्द चोला 1/2 हिस्सा व भगवाना वल्द खुमा 1/2 हिस्सा कब्जेदार के नाम से अंकित है व भूमि अधिकारी के कॉलम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपररथ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही माफी देवस्थान सिरोही, के नाम अंकित है। इसके पश्चात संवत 2020–2023 की खतौनी

....पेज सात पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी में कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि सोमा वल्द भगवान, सांकला वल्द भीमा कौम घांची सा. देह खातेदार के नाम अंकित है एवं भूमि अधिकारी के कॉलम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास स्थान सिरोही के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी संवत 2029–2048 से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी(भोक्ता) के कालम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही को हटाकर उसके स्थान पर राजस्थान सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 4 में श्री सोमा वल्द भगवाना कौम घांची सा. देह खातेदार के नाम अंकित है। संवत 2032–2035 की जमाबन्दी खतौनी से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही के नाम को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 4 में श्री सोमा वल्द भगवाना कौम घांची सा. देह खातेदार के नाम अंकित है। दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संवत 2032–2035 की जमाबन्दी में अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारो को सा. देह खातेदार दर्ज करने का कोई कारण या आधार का उल्लेख राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया है एवं संवत 2032 से बदस्तूर प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थीगण व उनके रसाधिकारियों के नाम बदस्तूर खा. देह खातेदार दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2010–2013 की खसरा गिरदावरी में खतौनी जमाबन्दी में कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि धरमा व गेमा वल्द चोला 1/2 हिस्सा व भगवाना वल्द खुमा 1/2 हिस्सा कब्जेदार के नाम से अंकित है व भूमि अधिकारी के कॉलम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही माफी देवस्थान सिरोही के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। इसी प्रकार संवत 2029–2048 की खसरा गिरदावरी में उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी(भोक्ता) के कालम में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही के नाम को हटाकर उसके स्थान पर राजस्थान सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 4 में श्री सोमा वल्द भगवाना कौम घांची सा. देह खातेदार के नाम का अंकन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण एवं उनके रसाधिकारियों के नाम खतौनी जमाबन्दी संवत 2029 से 2048 बिना किसी आधार एवं बिना किसी अधिकारिता के खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। यह कि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है, जो कानूनन गलत है। इस प्रकार, मन्दिर भूमि पर दी गई खातेदारी राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है, क्योंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. 1448 राज्य सरकार बनाम रामु एवं 2018(1) आर.आर.टी. 373 राज. राज्य बनाम मनोहरलाल व अन्य एवं 2013

....पेज आठ पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 329 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि माननीय राजस्व मण्डल ने मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी 1999 की जमाबन्दी को नजर अंदाज कर उसमें माफी देवस्थान श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही का नाम का अंकन होते हुए भी खतौनी जमाबन्दी संवत 2029 से 2048 में श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही के नाम को विलोपित करते हुए अप्रार्थीगण के नाम सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया यह इन्द्राज अधिकारिता से परे है जो राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है।

यह कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों का उक्तानुसार गलत तौर पर बतौर खातेदार नाम दर्ज हो जाने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज हो गए। इस प्रकार, मंदिर मूर्ति जो कि शाश्वत नाबालिग है, की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड पर आना नियमों के विपरीत है, इस कारण से मंदिर मूर्ति की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का नाम भी राजस्व रेकर्ड पर बतौर खातेदार दर्ज रहने योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982, 2987 व 2988 कुल किता 08 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा की भूमि श्री राजगुरू द्वारा स्थान सिरोही सरपरस्थ ज्ञानदास गुरू लक्ष्मणदास सा. सिरोही, के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान दिनांक 10.11.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली मय निर्णय की अतिरिक्त प्रति के सुनवाई तिथि से पूर्व प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner